

विवरणिका

2016-2017

★ बी०ए० ★ बी०एस-सी० ★ बी०कॉम०

★ एम०ए० ★ एम०एस-सी० ★ एम०कॉम०

★ बी०बी०ए० ★ बी०सी०ए०

★ बी०लिब० ★ एम०लिब० ★ एम०एस-सी (बायोटेक)

NIELIT (DOEACC) पाठ्यक्रम : सी०सी०सी०; ओ, ए स्तरीय

★ IGNOU ★ UPRTOU



मुलतानीमल मोदी महाविद्यालय

मोदीनगर - 201 204

Email : info@mmcmadinagar.ac.in


Website : www.mmcmadinagar.ac.in

☎ 01232-243492, 223620, 251025, Fax No. : 01232-223620

(A NAAC ACCREDITED COLLEGE)

कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं व्यवसायिक प्रशासन संकाय
(चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध)

PROSPECTUS



डॉ० देवेन्द्र कुमार मोदी
अध्यक्ष, प्रबन्ध समिति



प्रो० आर० सी० लाल
प्राचार्य एवं संरक्षक

मुलतानीमल मोदी महाविद्यालय मोदीनगर (ऊ प्र०)

वर्ष 1933 पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस अंचल को मील के पत्थर के समान सिद्ध हुआ जब मोदी परिवार ने ग्राम बेगमाबाद की भूमि पर मोदी शुगर मिल की स्थापना की। धीरे-धीरे अनेक उद्योग यहाँ स्थापित किये गये। स्थापित उद्योगों/सेवा/कृषि क्षेत्र में लगे हुए कामगार एवं किसान आदि परिवारों को शिक्षा प्रदान करने हेतु मोदी हाईस्कूल (वर्तमान में डॉ० के० एन० मोदी साइन्स एवं कॉमर्स कॉलेज), मुलतानीमल मोदी महाविद्यालय आदि के साथ-साथ प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों गिन्नी देवी मोदी गर्ल्स डिग्री कॉलेज, तकनीकी एवं प्रबंधन संस्थानों की स्थापित की। मुलतानीमल मोदी महाविद्यालय की स्थापना मुलतानीमल मोदी डिग्री कॉलेज सोसाइटी के अन्तर्गत हुई।

वर्ष 1957 में उच्च शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर भारत का प्रतिष्ठित संस्थान—मुलतानीमल मोदी महाविद्यालय स्थापित हुआ। जिसमें प्रारम्भ में केवल 100 विद्यार्थी एवं वर्तमान में 3900 विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

इस महाविद्यालय में रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित, सांख्यिकी, कम्प्यूटर विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, शारीरिक शिक्षा, पुस्तकालय विज्ञान, वाणिज्य एवं प्रबंधन सहित 18 विषयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाएँ हैं। महाविद्यालय में एक समृद्ध पुस्तकालय है, जिसमें एक लाख पुस्तकें हैं।

शायद ही बुनियादी ढाँचे में इस महाविद्यालय के समकक्ष समूचे प्रदेश में कोई अन्य महाविद्यालय हो। एक विशाल तिमंजिला भवन जिसमें विज्ञान के समस्त विषयों की प्रयोगशालायें, व्याख्यान कक्षाओं के साथ-साथ 30 अन्य कक्ष हैं। प्रत्येक विभाग हेतु विभागीय कक्ष, कम्प्यूटर व विभागीय पुस्तकालय है। एक विशाल केन्द्रीय पुस्तकालय भवन, छात्रा कक्ष, कैंटीन व वाहन स्थल भी है। महाविद्यालय में एक विशाल खेल के मैदान के साथ समस्त क्रीडा एवं खेल की सुविधायें उपलब्ध हैं। विज्ञान प्रयोगशालाएं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित हैं तथा सभी विभागों में शोध सुविधायें उपलब्ध हैं। इतिहास विभाग में एक वृहद शोध परियोजना के साथ-साथ शोध छात्र विभिन्न विभागों में विद्वान प्राध्यापकों के निर्देशन में शोध कार्य कर रहे हैं। विश्वविद्यालय योग्यता सूची में भी हमारे छात्र अग्रणी रहते हैं। क्रीडा एवं खेलकूद के क्षेत्र में हमारे विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पुरस्कारों के साथ ही अर्जुन पुरस्कार प्राप्त कर महाविद्यालय का सम्मान को बढ़ाया है।

सांस्कृतिक साहित्यिक परिषद के तत्वाधान में महाविद्यालय में अखिल भारतीय स्तर पर मुलतानीमल मोदी अन्तर विश्वविद्यालय वाद-विवाद प्रतियोगिता के साथ ही विश्वविद्यालय स्तर की अनेकों सांस्कृतिक/साहित्यिक गोष्ठियों/प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष महाविद्यालय में वार्षिक समारोह गोष्ठि पूजा के दिन मनाया जाता है जिसमें स्व० सेठ रायबहादुर मुलतानीमल मोदी जी की स्मृति में अपनी कक्षा के अन्तिम वर्ष के सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पारितोषिक के रूप में एक कलाई घड़ी, पदक एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किये गये हैं।

- सत्र 2015-16 से स्नातक/स्नातकोत्तर स्तरीय परीक्षा में प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण विद्यार्थियों हेतु डॉ० केदारनाथ मोदी छात्रवृत्ति (छात्र), पूज्य माँ जी गिन्नी देवी मोदी छात्रवृत्ति (छात्रा) प्रारम्भ की गई है।
- सत्र 2009-2010 से अनिवासी भारतीय छात्रवृत्ति "रतन लाल-सावित्री देवी गुप्ता स्मृति छात्रवृत्ति एवं पारितोषक" दिये जा रहे हैं। महाविद्यालय अपनी स्थापना के गौरवमयी इतिहास के साथ सत्र 2007-2008 में 50 वर्ष पूरे कर चुका है। इस उपलक्ष्य में महाविद्यालय में स्वर्ण जयन्ती वर्ष मनाया गया। जिसके अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये। इस अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में विद्यार्थियों ने अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग किया।

शिक्षा प्रणाली—

चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय क्षेत्रान्तर्गत सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर त्रैवार्षिक (10+2+3) शिक्षा प्रणाली लागू है। जबकि स्नातकोत्तर कक्षाओं में सैमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत शिक्षा प्रदान की जा रही है।

अध्ययन के विषय:

(अ) कला संकाय:

बी.ए. (हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा, अर्थशास्त्र) — कुल सीटें—240

बी.ए. में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा उक्त मुख्य विषयों में से कोई तीन विषयों का ही चयन किया जा सकता है। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा भाषा विषय का चयन किया जाता है तो अधिकतम दो भाषाओं का चयन करते हुए कुल तीन विषय ही चयनित किए जा सकते हैं।

एम.ए. (हिन्दी-कुल सीटें 60, अंग्रेजी-कुल सीटें 60, अर्थशास्त्र-कुल सीटें 60, राजनीतिशास्त्र-कुल सीटें 60, इतिहास-कुल सीटें 60, संस्कृत-कुल सीटें 60)

बी.लिब. (B.Lib. & I.Sc.) कुल सीटें-60 (स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत स्थायी सम्बद्धता प्राप्त पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के इस एक वर्षीय स्नातक कोर्स के लिए प्रवेश हेतु बी.एस-सी./बी.कॉम./बी.ए. न्यूनतम प्राप्तांक 45% (अनु./जनजाति 40%) के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।)

एम.लिब. (M.Lib. & I.Sc.) कुल सीटें-30 (स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत स्थायी सम्बद्धता प्राप्त, न्यूनतम अर्हता B.Lib. & I.Sc.) इस एक वर्षीय स्नातकोत्तर कोर्स के लिए प्रवेश हेतु B.Lib. या B.Lib. & I.Sc. में न्यूनतम प्राप्तांक 50% (अनु./जनजाति के लिए 45%) के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(आ) विज्ञान संकाय :

(1) **बी० एस-सी०** : (निम्नलिखित में से कोई एक विषय समूह (Combination) लिया जा सकता है।)

1. रसायन, वनस्पति तथा जन्तु विज्ञान (कुल सीटें 120)
2. भौतिकी, रसायन तथा गणित (कुल सीटें 80)
3. भौतिकी, गणित तथा सांख्यिकी (कुल सीटें 40)
4. बी.सी.ए. (60 सीट) (स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्थायी सम्बद्धता)

नोट : बी.एस-सी. प्रथम में इच्छुक प्रवेशार्थी एक से अधिक विषय समूह में यदि आवेदन करना चाहते हैं तो अलग-अलग ऑन-लाइन पंजीकरण कराना होगा।

(2) **एम० एस-सी०** :

रसायन-कुल सीटें 20, वनस्पति विज्ञान-कुल सीटें 20, जन्तु विज्ञान-कुल सीटें 20, भौतिक विज्ञान-कुल सीटें 20, सांख्यिकी-कुल सीटें 20, गणित-कुल सीटें 60, बायोटेक्नोलॉजी-कुल सीट 30 (स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत)

नोट : (i) एस.एस-सी. प्रथम में इच्छुक प्रवेशार्थी एक से अधिक विषय समूह में यदि आवेदन करना चाहते हैं तो अलग-अलग ऑन-लाइन पंजीकरण कराना होगा।

(ii) विज्ञान संकाय के सभी विद्यार्थियों का प्रयोगशाला में स्वयं का क्रय किया गया सफेद Apron पहनकर आना अनिवार्य है।

(iii) एम.एस-सी. (बायोटेक) में प्रवेश हेतु न्यूनतम प्राप्तांक 50% होना आवश्यक है। (अनु./जनजाति के लिए 5% की छूट मान्य है)

(इ) **वाणिज्य एवं व्यवसायिक प्रशासन संकाय** : नमसो मा ज्योतिर्गमय

बी० कॉम० (कुल सीटें-120)

बी०बी०ए० (कुल सीटें-60) (स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्थायी सम्बद्धता)

एम० कॉम० (कुल सीटें-60)

(ई) **अन्य दूरस्थ पाठ्यक्रम** :

संस्थागत अध्ययन के साथ IGNOU, UPRTOU एवं NIELIT (Formerly DOEACC) के कोर्स में प्रवेश लिये जा सकते हैं। विवरण अगले पृष्ठों पर देखें। यह कोर्स अतिरिक्त योग्यता हेतु लेने की सलाह दी जाती है। आप इस सुविधा से लाभान्वित हों।

विषय चयन :

विद्यार्थियों को विषय चयन करते समय सावधानी रखनी चाहिये। एक बार चयन किये गये विषयों में परिवर्तन नहीं होगा। प्रत्येक कक्षा/कोर्स में प्रवेश हेतु अलग-अलग आवेदन एवं वि.वि. से पंजीकरण होना अनिवार्य है।

प्रवेश प्रक्रिया :

1. **स्नातक प्रथम वर्ष के प्रवेशार्थियों हेतु प्रवेश प्रक्रिया**—

क. चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की वेबसाइट ccswuweb.in पर प्रवेश हेतु पंजीकरण कराने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा ही योग्यता सूची/मैरिट लिस्ट तैयार की जायेगी। मैरिट लिस्ट में प्रवेशार्थी का नाम आने पर प्रवेशार्थी को महाविद्यालय से प्रवेश विवरणिका/ Prospectus नकद रु. 100.00 के भुगतान पर क्रय करनी होगी। विवरणिका में संलग्न प्रवेश फार्म को पूर्ण भरते हुये साथ में निम्न प्रमाण पत्रों को संलग्न करना अनिवार्य है—

1. हाई स्कूल की अंकतालिका/प्रमाण पत्र की स्व सत्यापित प्रति।
2. इण्टरमीडिएट की अंकतालिका/प्रमाण पत्र की स्व सत्यापित प्रति।
3. विगत विद्यालय से प्राप्त स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) एवं चरित्र प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।
4. जाति प्रमाण पत्र, तहसील द्वारा (कम्प्यूटराइड) जारी होना आवश्यक है यदि प्रवेशार्थी आरक्षित श्रेणी का है।

5. आय प्रमाण पत्र तहसील द्वारा (कम्प्यूटराइड) जारी होना आवश्यक है (तीन वर्ष से ज्यादा पुराना न हो)।
6. आधार कार्ड की प्रति (स्व-प्रमाणित)।
7. यदि किसी प्रवेशार्थी ने अधिभार (Weightage) का लाभ प्राप्त किया है तो सम्बन्धित प्रमाण पत्र की छाया स्व सत्यापित प्रति।
8. प्रवेशार्थी को सभी प्रमाण पत्र प्रवेश के समय मूल रूप में प्रस्तुत करने होंगे ताकि प्रवेश स्वीकृति के लिये सभी मूल पत्रों की जाँच की जा सके।
9. यदि अभ्यर्थी का नाम प्रवेश हेतु मैरिट में आ जाता है, परन्तु अभ्यर्थी सम्बन्धित पत्राजात प्रवेश समिति के सम्मुख प्रस्तुत नहीं करता है तो उसका प्रवेश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. रोवर्स-रैंजर्स का अधिभार का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी को प्रवेश, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान तथा तृतीय सोपान के प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करने होंगे।
11. कक्षा / विषय में विद्यार्थी की उपस्थिति 75% से कम नहीं होगी, इस आशय का घोषणा पत्र प्रवेश फार्म के साथ जमा करना होगा। घोषणा पत्र प्रवेश फार्म के साथ संलग्न है।
12. विद्यार्थियों को प्रवेश फार्म, घोषणा पत्र, परिचय पत्र, छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के सभी फार्म पर एक ही तरह का पासपोर्ट साइज फोटो लगाना होगा। अलग-अलग फोटो का प्रयोग न करें।
13. अन्य बोर्ड से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र बोर्ड का प्रवजन प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रवेश के समय संलग्न करनी होगी।
14. अन्य विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को प्रवेश के समय प्रवजन प्रमाण पत्र की छाया प्रति फार्म के साथ संलग्न करनी होगी।

ख. प्रवेश फार्म एवं सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति लेकर प्रवेशार्थी को विवरणिका में दी गयी प्रवेश समिति के सम्बन्धित संयोजक के पास प्रवेश स्वीकृति हेतु जाना होगा ताकि प्रवेश संयोजक समस्त प्रमाण पत्रों की जाँच कर लें और सही पाये जाने पर प्रवेशार्थी को प्रवेश स्वीकृत किया जा सके।

ग. विद्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उच्च न्यायालय/शासन के नवीन आदेशानुसार प्रत्येक विद्यार्थी को कक्षा में नियमित रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है। विद्यार्थियों की उपस्थिति प्रत्येक माह शासन/विश्वविद्यालय को ऑन लाइन प्रेषित की जायेगी। अतः विद्यार्थी अपने शिक्षकों के सम्पर्क में रहें। यदि किसी विद्यार्थी की उपस्थिति 75% से कम पायी जाती है तो उसे परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। प्रवेश के समय प्रवेशार्थी/अभिभावक को इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा, कि यदि विद्यार्थी की उपस्थिति कक्षा/विषय में 75% से कम होती है और विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा ऐसे विद्यार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित रखा जाता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी विद्यार्थी/अभिभावक की होगी।

घ. प्रवेश स्वीकृति के बाद प्रवेश संयोजक आपको शुल्क रसीद की चार प्रतियां उपलब्ध करायेंगे जिसके माध्यम से आप सिंडिकेट बैंक निकट राज चौपला, मोदीनगर में शुल्क जमा करायेंगे। शुल्क रसीद की दो प्रति बैंक आपको मोहर लगाकर वापस लौटायेगा, जिसमें से एक प्रति (कालेज प्रति) आप प्रवेश संयोजक के पास उसी दिन जमा करायेंगे ताकि आपके प्रवेश को अंतिम रूप देते हुये संयोजक आपको परिचय पत्र (I-Card) आबंटित कर सकें।

च. विद्यार्थी को परिचय पत्र पर चीफ प्रोक्टर के हस्ताक्षर कराने हेतु निम्न प्रक्रिया पूरी करनी होगी-

1. अनुशासन समिति/रैगिंग का फार्म भरकर प्रोक्टर कार्यालय में जमा कराना होगा।
2. शुल्क रसीद की छाया प्रति फार्म के साथ संलग्न करनी होगी।

2. परास्नातक प्रथम वर्ष के प्रवेशार्थियों हेतु प्रवेश प्रक्रिया-

क. चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ वेबसाइट ccswweb.in पर प्रवेश हेतु पंजीकरण कराने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा ही योग्यता सूची/मैरिट लिस्ट तैयार की जायेगी। मैरिट लिस्ट में प्रवेशार्थी का नाम आने पर प्रवेशार्थी को महाविद्यालय से प्रवेश विवरणिका/ Prospectus नकद रु. 100.00 के भुगतान पर क्रय करना होगा। विवरणिका में संलग्न प्रवेश फार्म को पूर्ण भरते हुये साथ में निम्न प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे-

1. स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की अंकतालिका की छाया प्रति।
2. यदि स्नातक अन्य महाविद्यालय (एम.एम. कॉलेज, मोदीनगर के अतिरिक्त) से उत्तीर्ण की है तो स्थानान्तरण एवं चरित्र प्रमाण पत्र स्वीकृति के समय मूल रूप से अनिवार्य रूप में देना होगा।
3. जाति प्रमाण पत्र तहसील द्वारा (कम्प्यूटराइड) जारी होना आवश्यक है यदि प्रवेशार्थी आरक्षित श्रेणी का है।

4. आय प्रमाण पत्र तहसील द्वारा (कम्प्यूटराइड) जारी होना आवश्यक है (तीन वर्ष से ज्यादा पुराना न हो) स्व सत्यापित प्रस्तुत करें।
5. यदि किसी प्रवेशार्थी ने अधिभार (Weightage) का लाभ प्राप्त किया है तो सम्बन्धित प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
6. स्नातक कक्षाओं में प्राप्त भारांक का लाभ ही स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु देय होगा।
7. प्रवेशार्थी को सभी प्रमाण पत्र प्रवेश के समय मूल रूप में प्रस्तुत करने होंगे ताकि प्रवेश स्वीकृति के लिये सभी मूल पत्रों की जाँच की जा सके।
8. यदि अभ्यर्थी का नाम प्रवेश हेतु मैरिट में आ जाता है, परन्तु अभ्यर्थी सम्बन्धित पत्राजात प्रवेश समिति के सम्मुख प्रस्तुत नहीं करता है तो उसका प्रवेश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
9. विद्यार्थियों को प्रवेश फार्म, घोषणा पत्र, परिचय पत्र, आधार कार्ड छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के सभी फार्म पर एक ही तरह का पासपोर्ट साइज फोटो लगाना होगा। अलग-अलग फोटो का प्रयोग न करें।
10. प्रवेश के समय प्रवेशार्थी/अभिभावक को इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा, कि यदि विद्यार्थी की उपस्थिति कक्षा/विषय में 75% से कम होती है और विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा ऐसे विद्यार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित रखा जाता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी विद्यार्थी/अभिभावक की होगी।

- ख. प्रवेश फार्म एवं सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति लेकर प्रवेशार्थी को विवरणिका में दी गयी प्रवेश समिति के सम्बन्धित संयोजक के पास प्रवेश स्वीकृति हेतु जाना होगा ताकि प्रवेश संयोजक समस्त प्रमाण पत्रों की जाँच कर लें और सही पाये जाने पर प्रवेशार्थी को प्रवेश स्वीकृत किया जा सके। प्रमाण पत्र उपर्युक्त न पाये जाने पर प्रवेश स्वीकृत नहीं होगा।
- ग. प्रवेश स्वीकृति के बाद प्रवेश संयोजक आपको शुल्क रसीद की चार प्रतियां उपलब्ध करायेंगे जिसके माध्यम से आप सिंडिकेट बैंक निकट राज चौपला, मोदीनगर पर शुल्क जमा करायेंगे। शुल्क रसीद की दो प्रति बैंक आपको मोहर लगाकर वापस लौटायेगा, जिसमें से एक प्रति (कालेज प्रति) आप प्रवेश संयोजक के पास उसी दिन जमा करायेंगे ताकि आपको प्रवेश को अंतिम रूप देते हुये संयोजक आपको परिचय पत्र (I-Card) आबंटित कर सकें।

3. स्नातक/परास्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष को छोड़कर प्रवेश प्रक्रिया :

स्नातक कक्षाओं के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के तथा परास्नातक कक्षाओं के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के प्रवेश सम्बन्धित संयोजकों द्वारा सीधे स्वीकृत किये जायेंगे। प्रवेश हेतु विवरणिका कार्यालय से रु. 100 नकद भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है।

4. छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन प्रक्रिया—

- क. छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन करने हेतु महाविद्यालय का नोटिस बोर्ड/वेबसाइट देखें ताकि शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं कार्यक्रमानुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का आवेदन पत्र कार्यालय में जमा कराया जा सके।
 - ख. विद्यार्थी को सिंडिकेट बैंक निकट राज चौपला, मोदीनगर में अपने नाम से बचत खाता खोलना होगा ताकि छात्रवृत्ति के आवेदन-पत्र पर बैंक खाता संख्या अंकित हो सके।
 - ग. विद्यार्थी को तहसील द्वारा कम्प्यूटराइड जारी आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करनी होगी। आय प्रमाण पत्र तीन वर्ष से ज्यादा पुराना अमान्य होगा।
 - घ. विद्यार्थी का तहसील द्वारा कम्प्यूटराइड जारी जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
 - ङ. स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की अंकतालिका/प्रमाण पत्र की छाया प्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
 - च. स्नातक कक्षाओं के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष व स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों को हाईस्कूल एवं विगत वर्ष की अंकतालिका की छाया प्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
 - छ. विद्यार्थी को शुल्क रसीद एवं परिचय पत्र की छाया प्रति छात्रवृत्ति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
 - ज. तहसील द्वारा कम्प्यूटराइड जारी आय/जाति प्रमाण पत्र ही स्वीकार होंगे।
 - झ. आधार कार्ड की छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी।
- क्रम संख्या ख-झ तक कागजात उपलब्ध न होने के कारण छात्रवृत्ति फार्म स्वीकार नहीं होगा।**

5. अन्य—

- क. शुल्क की रसीदें संभाल कर रखें। किसी भी समय उनकी आवश्यकता पड़ सकती है। प्रवेश शुल्क की रसीद प्रस्तुत करने पर ही परिचय पत्र एवं लाइब्रेरी कार्ड जारी होगा।

- ख. शारीरिक रूप से विकलांग छात्र स्नातक स्तर के तीनों वर्षों की शारीरिक शिक्षा (अनिवार्य विषय) की परीक्षा नहीं देंगे।
- ग. विश्वविद्यालय प्रवेश नियमावली कालिज/वि.वि. वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रवेश नियमावली में उद्धृत नियमों का पालन किया जायेगा।
- घ. विश्वविद्यालय का परीक्षाफल तथा अन्य कार्यक्रम वेबसाइट www.ccsuniversity.ac.in पर उपलब्ध होगा। जबकि महाविद्यालय से सम्बन्धित सामान्य जानकारी वेबसाइट www.mmcmadinagar.ac.in पर उपलब्ध होगी।
- ङ. बैंक पेपर में अर्ह विद्यार्थियों को अगली कक्षा में औपबन्धिक रूप से प्रवेश विश्वविद्यालय के नियमानुसार दिया जायेगा। यदि बैंक पेपर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित हो जाते हैं तो उनको भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा देनी होगी।
- च. स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की कक्षाएँ भी विश्वविद्यालय आदेशानुसार अगस्त 2016 से प्रारम्भ होंगी। यदि कोई परीक्षाफल बाद में घोषित होता है तो ऐसे विद्यार्थियों के प्रवेश अंकतालिका जारी होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर किए जा सकते हैं।
- छ. प्रवेश प्रक्रिया में अधिक दिन लगते हैं अथवा किसी अन्य कारणवश 180 दिन में से कुछ शिक्षण दिवस कम होते हैं तो उतने शिक्षण दिवसों की पूर्ति अतिरिक्त कक्षाएँ लगाकर की जायेगी।
- ज. शोक सभायें विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थानों में केवल कार्यरत शिक्षक/कर्मचारी एवं अध्ययनरत छात्र/छात्रा के निधन पर शासनादेशों के अनुपालन में की जायेगी।
- झ. चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय के नियमानुसार यदि किसी छात्र की उपस्थिति किसी एक विषय में 75% से कम रह जायेगी तो उसे परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जायेगा। छात्रों की उपस्थिति की गणना के लिए वादनों की संख्या उस छात्र की प्रवेश तिथि की उपेक्षा करते हुए सत्रारम्भ के प्रारम्भ दिन से ही ली जायेगी। अभिभावक इस दिशा में सतर्क रहें।
- ण. छात्र उपस्थिति प्रतिमाह विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी।

विश्वविद्यालय परीक्षा एवं नामांकन :

परीक्षा फार्म, प्रवेश-प्रक्रिया समाप्त होने के बाद भरे जाते हैं। परीक्षा फार्म के साथ ही विश्वविद्यालय नामांकन फार्म भी प्रथम वर्ष के समस्त विद्यार्थियों को भरने होंगे। अन्य कक्षाओं में गत परीक्षा किसी अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को भी विश्वविद्यालय नामांकन फार्म भरना अनिवार्य है। ऐसे छात्रों को पूर्व विश्वविद्यालय का प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) परीक्षा फार्म के साथ मूल रूप में संलग्न करना होगा।

टाइम टेबिल:

- (1) टाइम टेबिल से सम्बन्धित सूचनाएँ विभागीय सूचना पट पर देखें।
- (2) टाइम टेबिल के सम्बन्ध में महाविद्यालय छात्रों की समय की प्राथमिकता को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।

परिचय पत्र (Identity Card)

- (1) परिचय पत्र विद्यार्थी को इस महाविद्यालय की सदस्यता को प्रमाणित करता है। यह प्रवेश के पश्चात् महाविद्यालय से छात्र/छात्रा को लेना होगा।
- (2) यह केवल एक वर्ष के लिए ही मान्य है।
- (3) लाइब्रेरी कार्ड प्राप्त करने के लिए भी परिचय पत्र प्रस्तुत करना अत्यन्त आवश्यक है। परिचय पत्र के प्रस्तुत करने पर ही विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें दी जा सकेंगी।
- (4) उन सभी स्थानों और अवसरों पर जहां इस महाविद्यालय के विद्यार्थियों को ही उपस्थित होने का अधिकार है, यह परिचय पत्र विद्यार्थी के पास होना आवश्यक है। अधिकारियों की मांग पर इसे प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में विद्यार्थी का महाविद्यालय में प्रवेश वर्जित किया जा सकता है। परीक्षा में बैठने के लिए भी परिचय पत्र की आवश्यकता होगी।
- (5) महाविद्यालय के बाहर अन्य अवसरों पर भी परिचय पत्र की आवश्यकता होगी। विद्यार्थियों को अपने हित में महाविद्यालय का परिचय पत्र सदैव अपने पास रखना चाहिये।
- (6) परिचय पत्र खो जाने की स्थिति में प्राचार्य को लिखित रूप में सूचित करना होगा तथा रु. 50/- के भुगतान पर डुप्लिकेट परिचय पत्र प्राप्त किया जा सकता है।
- (7) महाविद्यालय शुल्क रसीद खो जाने पर विद्यार्थी को रु. 50/- के भुगतान पर डुप्लिकेट शुल्क रसीद (छाया प्रति) जारी की जायेगी।

महाविद्यालय पत्रिका एवं त्रैमासिक समाचार पत्र :

महाविद्यालय विद्यार्थियों एवं प्राध्यापकों के मौलिक विचारों/कविता/व्यंग एवं सम सामयिक लेखन को वार्षिक पत्रिका ऋतुम्भरा में प्रकाशित करता है। पत्रिका का प्रकाशन वार्षिक है। साथ ही महाविद्यालय में वर्ष भर होने वाली गतिविधियों के बारे में शिक्षा एवं शिक्षणेत्र त्रैमासिक समाचार पत्र में वर्ष 2015-2016 से प्रकाशित कर रहा है। पत्रिका प्रकाशित होने के उपरान्त छात्र अपना परिचय पत्र दिखाकर एवं पुस्तकालय की प्रविष्टि पूर्ण कराकर पत्रिका प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थियों/प्राध्यापकों/कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने स्वलेख/कविताएँ जोकि मौलिक एवं अप्रकाशित हो सम्पादक मण्डल को अक्टूबर के अन्त तक अवश्य दें दे ताकि पत्रिका का प्रकाशन शैक्षणिक सत्र में ही हो सके। समस्त विभागीय परिषद के छात्र अधिकारियों से अनुरोध है कि विभागीय परिषदों के क्रिया-कलापों का विवरण डॉ. विवेकशील-मुख्य सम्पादक को तुरन्त प्रस्तुत करें ताकि उसका समावेश/प्रकाशन त्रैमासिक समाचार पत्र में हो सके।

शोध अध्ययन/जूनियर/सीनियर फ़ैलोशिप :

महाविद्यालय में समस्त विषयों में शोध अध्ययन की सुविधा प्राप्त है। कोई भी ऐसा विद्यार्थी जिसने उच्च शिक्षा में प्रवक्ता की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता / विश्वविद्यालय शोध की प्रवेश परीक्षा UGC/CSIR अथवा अन्य किसी मान्य विधिक संस्थान एवं जूनियर फ़ैलोशिप परीक्षा उत्तीर्ण की हो शोध हेतु अर्ह है। ऐसे शोधार्थी को निम्न नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा—

1. शोधार्थी ने उच्च शिक्षा में अध्यापन की न्यूनतम अर्हता के साथ-साथ विश्वविद्यालय में प्रवेश पंजीकरण कराया हो।
2. शोध कार्य हेतु संस्थागत प्रवेश लेना होगा लेकिन उसे शोध/अध्यापन करने के अतिरिक्त महाविद्यालय की किसी अन्य गतिविधि में भाग लेने पर प्रतिबन्ध होगा। छात्र-संघ चुनाव की स्थिति में शोध-छात्र स्वयं को छात्र के समकक्ष नहीं मानेंगे और न ही किसी पद पर चुनाव लड़ सकेंगे।
3. शोध-कार्य केवल नियमित शोधार्थी के रूप में किया जा सकेगा तथा शोध समय में न्यूनतम निर्धारित अध्यापन करना अनिवार्य होगा। अध्यापन कार्य हेतु किसी प्रकार का मानदेय देय नहीं होगा।
4. शोध कार्य हेतु वित्तीय सहायता/शोध-वृत्ति प्रदान करने वाली संस्थाओं से आर्थिक सहायता/शोध-वृत्ति प्राप्त की जा सकती है।
5. शोधार्थी को प्रवेश नियमों का अनुपालन करते हुए शोधग्रंथ मूल्यांकन हेतु जमा करने से पूर्व कम से कम दो शोधपत्र राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पत्र/पत्रिकाओं में प्रकाशित कराने होंगे। जिसमें कम-से-कम एक शोध पत्र संधर्भित (Referred) जर्नल में प्रकाशित होना चाहिए। साथ ही कम-से-कम दो पेपर (शोध कार्य समय में) संगोष्ठियों/सम्मेलनों में प्रस्तुत करने होंगे। शोध पत्र, शोध ग्रंथ की सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी महाविद्यालय में देनी होगी तथा सारांश की 10 प्रति जमा करानी होगी।
6. शोधार्थी को शिक्षकों के समान ही आचार संहिता का पालन करना होगा।
7. शोधार्थी के द्वारा शोध अवधि में यदि कोई अनुचित आचरण किया जाता है तो प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
8. शोध-छात्र, जूनियर/सीनियर फ़ैलोशिप प्राप्त शोधार्थी को प्रतिदिन महाविद्यालय में उपस्थित होना होगा एवं उपस्थित पंजिका में हस्ताक्षर करने होंगे।
9. शोध/जूनियर/सीनियर फ़ैलोशिप प्राप्त होने पर शोध-छात्रवृत्ति/मानदेय तभी निर्गत किया जायेगा, जब सम्बन्धित माह की उपस्थिति गाइड/विभागाध्यक्ष द्वारा प्रति-हस्ताक्षरित की जायेगी।
10. शोध/जूनियर/सीनियर फ़ैलोशिप प्राप्त अभ्यर्थियों को महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में लागू सम्बन्धित अवकाश/वित्तीय नियमों का अनुपालन करना होगा।

अनुशासन/एन्टी रैगिंग समिति :

माननीय उच्च न्यायालय एवं शासन के पत्रांक 746/सत्तर-1-2009/उच्च शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 26 मार्च 2009 द्वारा रैगिंग पर पूर्ण निषेध है। छात्रों की संलिप्तता पर कठोर दण्ड का प्राविधान है। रैगिंग सम्बन्धी निर्देशों के अनुपालन में महाविद्यालय में एक एन्टी रैगिंग समिति कार्यरत है।

महाविद्यालय/विभागीय परिषद :

महाविद्यालय के प्रत्येक विभाग में विभागीय परिषद् का गठन किया गया है। परिषद के कार्य समय-समय पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं, सेमीनार, अध्ययन एवं अध्यापन शिक्षण गतिविधियाँ एवं युवाओं के व्यक्तित्व विकास हेतु कार्यक्रम आयोजित करना है। प्रत्येक विद्यार्थी को विभागीय परिषद का सदस्य बनना होगा। विद्यार्थी सम्बन्धित जानकारी विभागाध्यक्ष/परिषद् प्रभारी से प्राप्त करें। परिषदों में सुगम प्रशासन हेतु महाविद्यालय परिषद् गठित है जिसके समन्वयक डॉ. के. के. शर्मा है।

महाविद्यालय छात्र-संघ :

छात्र संघ का गठन लोकतान्त्रिक भावनाओं एवं युवाओं के व्यक्तित्व विकास हेतु किया जाता है। छात्र संघ का गठन 30 प्र० शासन/विश्वविद्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में सामूहिक गुप्त मतदान प्रक्रिया से लिंगदोह समिति के सुझावों के अन्तर्गत किया जाता है। नवगठित छात्र-संघ का कार्यकाल एक शैक्षिक वर्ष का होता है जोकि तीस जून को समाप्त हो जाता है।

छात्र कल्याण प्रकोष्ठ :

छात्र कल्याण प्रकोष्ठ विद्यार्थियों के कल्याण हेतु गठित किया गया है इसमें निर्धन विद्यार्थी शुल्क में छूट हेतु, आर्थिक सहायता एवं/अथवा बुक बैंक से किताबें प्राप्त करने के लिये आवेदन कर सकते हैं तथा प्रकोष्ठ द्वारा लिये गये अन्तिम निर्णय अनुसार विद्यार्थी को सुविधा दी जायेगी। छात्र कल्याण प्रकोष्ठ के संयोजक डॉ० विवेक शील हैं।

महाविद्यालय महिला प्रकोष्ठ :

महाविद्यालय में महिला प्रकोष्ठ गठित है। महिला शिक्षिका प्रकोष्ठ की समन्वयक होगी। महाविद्यालय में कार्यरत महिला शिक्षक/कर्मियों एवं छात्राओं हेतु सुविधाओं एवं उनके शैक्षणिक तथा अधिकारों के प्रति सजगता रखना प्रकोष्ठ का कार्य है। समस्त सम्बन्धित से अपेक्षा की जाती है कि अपनी किसी भी शिकायत के निराकरण हेतु प्रकोष्ठ अधिकारियों को लिखित रूप में अवगत कराये ताकि तत्काल उनका निराकरण हो सके।

सांस्कृतिक साहित्यिक परिषद :

महाविद्यालय में परिसंवाद संगोष्ठियों, विचार, टिप्पणियों, वाद विवाद प्रतियोगिताओं के रूप में विविध सांस्कृतिक/शैक्षिक क्रियाकलाप आयोजित किये जाते हैं जिनमें अध्यापक और विद्यार्थी भाग लेते हैं। विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि प्रवेश प्राप्ति के बाद परिषद् के अधिकारियों से सम्पर्क कर अपनी अभिरुचि को बतायें ताकि वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता हो सके।

अनुसूचित जाति/जनजाति विद्यार्थी प्रकोष्ठ :

महाविद्यालय के अनुसूचित जाति/जनजाति विद्यार्थियों की सुविधा हेतु इस प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। सम्बन्धित विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने शैक्षिक विकास हेतु प्रकोष्ठ से लगातार सम्पर्क में रहें। महाविद्यालय में इस वर्ग के लिए शासकीय आदेशानुसार अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

कालेज यू.जी.सी. कमेटी :

महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर यू.जी.सी. को भेजे जाने प्रस्तावों को तैयार करने एवं उस संदर्भ के प्राप्त धनराशियों का समुचित उपभोग एवं अन्य कार्यकलापों हेतु इस समिति का गठन किया गया है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में महाविद्यालय, शिक्षकों, विद्यार्थियों से सम्बन्धित वित्तीय योजनाओं से लाभान्वित होने के लिये समिति सतत रूप से प्रयासरत रहती है।

रेमेडियल (उपचारी कोचिंग) कमेटी :

सत्र 2010-11 से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक छात्रों के उत्थान के लिये महाविद्यालय में उपचारात्मक कोचिंग (Remedial Coaching) कक्षाओं की शुरुआत की गई है। यू.जी.सी. द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता से इन वर्गों के छात्रों को कुशलता से उच्च शिक्षा प्राप्त करने तथा असफलता को कम करने के लिये उपचारात्मक प्रशिक्षण की व्यवस्था इस सैल द्वारा की जाती है।

कोचिंग क्लास कमेटी :

सत्र 2010-11 से अनुसूचित जाति, अ.सू. जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं में प्रवेश के लिये सहायता करने के लिये इस महाविद्यालय में यू.जी.सी. द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता से कोचिंग क्लास की व्यवस्था की जाती है।

इस कोचिंग योजना का मूल उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदायों से सम्बन्धित छात्रों को केन्द्रीय सेवाओं, राज्य सेवाओं व लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने लिये छात्रों को तैयार करना है।

कैरियर और परामर्श सैल :

सत्र 2010-2011 से महाविद्यालय में यू.जी.सी. से वित्तीय सहायता के साथ एक कैरियर और परामर्श सैल का गठन किया गया है। यह सैल इस महाविद्यालय के छात्रों को विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों की संभावनाओं के बारे में प्रासंगिक जानकारी और व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह सैल छात्रों को जटिल और वैश्विक रोजगार के बाजार में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने में भी मदद करता है।

महाविद्यालय आन्तरिक मूल्यांकन गुणवत्ता समिति (IQAC) :

उ०प्र० शासन/NAAC द्वारा अपेक्षित शैक्षणिक/शिक्षणेत्तर क्रियाकलापों के बारे में उनके मूल्यांकन/गुणवत्ता के स्तर के उन्नयन एवं अपेक्षित समय में उनकी आख्या तैयार कर विश्वविद्यालय/उ०प्र० शासन को उपलब्ध करायी जाती है ताकि उसका समुचित प्रयोग किया जा सके। सभी प्रध्यापकों/विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने विभाग एवं स्वयं के मूल्यांकन हेतु महाविद्यालय की शैक्षणिक/शिक्षणेत्तर क्रियाकलापों के उन्नयन में अपना पूर्ण सहयोग दे ताकि महाविद्यालय का चहुँमुखी विकास हो सके।

उक्त समितियों के अतिरिक्त निम्नांकित अन्य समितियाँ भी महाविद्यालय एवं छात्र विकास के लिए प्राचार्य एवं प्रबन्धतन्त्र के निर्देश में कार्य कर रहीं हैं।

- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| 1. Equal Opportunity Cell | 2. Admission and Exam Committee | 3. Extension Activities Committee |
| 4. College Council | 5. Time Table Committee | 6. Library Advisory Committee |
| 7. Research & Development Committee | 8. Medical/First Aid Committee | 11. RTI Committee |
| 9. Academic Advisory Committee/Council | 10. Examination Committee | |
| 12. College Press Correspondent Committee | 13. College Magazine Committee | |
| 14. Environment Awareness Committee | 15. Staff Welfare Committee (Teaching & Non Teaching) | |
| 16. Planning/Finance/Purchase Committee | 17. Maintenance/Infrastructure Committee | |
| 18. Training & Placement Cell | 19. Teachers Club | 23. Rover & Rangers |
| 20. Chief Proctor | 21. NSS | 22. Sports Committee |
| | | 24. NCC |

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता :

(क) प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन पत्र अग्रसरित एवं सत्यापित करने हेतु :

1. डॉ. सुबोध राणा, असि. प्रोफेसर, गणित विभाग
2. डॉ. वी. बी. त्रिपाठी, असि. प्रोफेसर, हिन्दी विभाग

(ख) सिडिकेट बैंक, निकट राज चौपला, मोदी नगर शाखा में छात्रवृत्ति हेतु खाता खोलने के लिये बोनाफाइड प्रपत्र बैंक की शाखा में उपलब्ध होगा।

डॉ० एस.एस. सूरी, एसो. प्रोफेसर, शारीरिक शिक्षा विभाग, बोनाफाइड प्रपत्र पर हस्ताक्षर करेंगे

(ग) छात्रवृत्ति फार्म में संलग्न जाति प्रमाण-पत्र एवं आय प्रमाण पत्र को सत्यापित करने हेतु :

डॉ० मयंक मोहन, असि. प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग/प्रभारी छात्रवृत्ति

खेलकूद :

छात्रों के लिए क्रिकेट, भारोत्तोलन, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेबिल टेनिस, हॉकी, जूडो तथा एथलेटिक्स आदि की व्यवस्था है। विभिन्न कक्षाओं के मध्य खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है। इसके लिए एक क्रीड़ा-समिति का गठन है। क्रीड़ा कोष से विभिन्न प्रकार की सुविधायें प्रदान की जाती हैं। अधिक जानकारी के लिए श्री एस.एस. सूरी, क्रीड़ा विभागाध्यक्ष से सम्पर्क करें।

राष्ट्रीय कैडेट कोर (N.C.C.)

राष्ट्रीय कैडेट कोर के माध्यम से विद्यार्थियों को सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.)

राष्ट्रीय सेवा योजना युवाओं के व्यक्तित्व एवं सर्वांगीण विकास हेतु महाविद्यालय में इकाईयाँ व्यवस्थाबद्ध रूप से कार्यरत हैं। इस संस्था की विशेषता है कि शिक्षक एवं विद्यार्थी एक जुट होकर सेवा में लगे रहते हैं। कार्य रूप दैनिक तो है ही साथ में विशेष शिविरों का भी आयोजन किया जाता है। यह संस्था जो कार्य कर रही है, उनमें साक्षरता, प्रौढ़ शिक्षा, श्रमदान, ग्राम विकास प्राकृतिक प्रकोपों के अवसर पर धन एवं वस्तु संग्रह प्रमुख है। महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले नए विद्यार्थियों से आशा की जाती है कि वे जन जागरण हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना के सदस्य बनें।

रोवर्स एण्ड रेंजर्स :

इस योजना के अन्तर्गत समस्त विद्यार्थियों को सामाजिक सेवा तथा उससे सम्बन्धित कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

वाहन/साइकिल स्टैंड :

महाविद्यालय में मोटर/स्वयं द्वारा चालित वाहन खड़े करने की व्यवस्था है। अपने वाहन निर्धारित स्थान पर ही खड़ा करें अन्यथा वाहन जब्त किया जायेगा। जब्त वाहन दण्ड शुल्क का भुगतान पर ही प्राप्त किया जा सकता है। वाहन चोरी/गुम होने की स्थिति में महाविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। अपने वाहन की स्वयं सुरक्षा करें। विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि अपने वाहन/साइकिल में डबल लॉक का उपयोग करें।

कैन्टीन :

महाविद्यालय में कैन्टीन/कैफेटेरिया की व्यवस्था है। जहाँ चाय, कोल्ड ड्रिक्स एवं स्नैक्स की उपलब्धता है।

शुल्क :

1. शासन/विश्वविद्यालय स्तर से यदि शुल्क में कोई परिवर्तन होता है तो विद्यार्थी परिवर्तित शुल्क जमा करने के लिए बाध्य होगा।
2. प्रवेश के समय जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में नहीं लौटाया जायेगा।
3. सुरक्षित धन प्रस्तावित कक्षा छोड़ने के पश्चात् तीन वर्ष के भीतर विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। उसके पश्चात् प्रतिभूति के रूप में जमा धनराशि पर सम्बन्धित विद्यार्थी का कोई अधिकार नहीं होगा।
4. अनुदानित कक्षाओं में अध्ययनरत छात्राओं से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा।
5. परास्नातक स्तर के प्रथम वर्ष में इस विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को ₹ 100.00 विश्वविद्यालय नामांकन (एनरोलमेंट) शुल्क भी देना होगा।
6. कक्षाओं के अध्यापन हेतु शिक्षक पद रिक्त होने पर विद्यार्थियों के आर्थिक सहयोग से ट्यूटर की व्यवस्था की जा सकती है। इस हेतु प्रस्ताव विभागीय परिषद द्वारा किया जाना अपेक्षित है।
7. अनुसूचित जाति के छात्र शुल्क में यदि छूट प्राप्त करना चाहते हैं, अपने अभिभावक की आय का प्रमाण पत्र तहसीलदार से प्रवेश प्रारम्भ होने से पूर्व ही प्राप्त करें। जिसके अभिभावक सेवारत हैं, वे संबंधित अधिकारी से वेतन+भत्ते का प्रमाण पत्र प्राप्त करें आय प्रमाण पत्र तीन वर्ष की अवधि के पूर्व का न हो। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त जातिगत छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रति पूर्ति हेतु अभिभावक की आय सीमा सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु शासनादेश के अनुरूप होगी।
8. अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति एवं सामान्य जाति के उन विद्यार्थियों को जो कि छात्रवृत्ति के पात्र हैं, शासन द्वारा निर्धारित अवधि में ही छात्रवृत्ति का फार्म भरकर संबंधित लिपिक के पास जमा कराना होगा। बाद में छात्रवृत्ति का फार्म जमा नहीं होगा। छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थी अपना बचत खाता सिंडीकेट बैंक, निकट राज चौपला, मोदीनगर की शाखा में खोलकर खाता संख्या एवं आधार कार्ड संख्या छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र में अवश्य लिखें।
9. विद्यार्थी इस विषय में सचेत रहें कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने की दशा में तथा प्रवेश हेतु किसी भी प्रकार के जाली प्रमाण पत्रों का प्रयोग न करें। यदि कोई जाली प्रमाण पत्र विद्यार्थी द्वारा प्रयोग किया गया, उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस विभाग में की जायेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी विद्यार्थी एवं उसके अभिभावक की होगी।

डॉ. के.एन. मोदी छात्रवृत्ति (छात्र)

सत्र 2015-16 से महाविद्यालय द्वारा स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण होने एवं दिव्यांग (छात्र) वर्ग में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले छात्र को प्रतिमाह ₹ 425/- की दर से एक वर्ष के उच्च-अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।

पूज्य माँ जी गिन्नी देवी मोदी छात्रवृत्ति (छात्रा)

सत्र 2015-16 से महाविद्यालय द्वारा स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण होने एवं दिव्यांग (छात्रा) वर्ग में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को प्रतिमाह ₹ 425/- की दर से एक वर्ष के उच्च-अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।

अनिवासी भारतीय छात्रवृत्ति एवं पारितोषक

RATAN LAL-SAVITRI DEVI GUPTA
MEMORIAL SCHOLARSHIP AND AWARDS
(Starting from Session 2009-10)

1. Meritorious Scholarship (one) : For final year of Postgraduate student in Science, Commerce or Arts @ Rs. 15,000 annually payable Rs. 1250.00 in cash monthly.
 2. Best Male and Female Student Awards (one each) : For passout Postgraduate (Final year) students from Science, Commerce and Arts streams @ Rs. 11,000 each payable lumpsum in cash.
 3. Most Meritorious Awards (Three) : One for each Topper in Science, Commerce and Arts Streams at Graduate level @ Rs. 7100 each payable lumpsum in cash.
- For further information please contact Dr. Arun Kumar (HOD Statistics) convener of the Selection Committee for these Awards & Scholarship.

पुस्तकालय

महाविद्यालय का केन्द्रीय पुस्तकालय पूर्णतः कम्प्यूटराइज्ड है तथा पुस्तकालय में उपलब्ध लगभग 125000 पुस्तकों का विवरण ऑन लाइन देखा जा सकता है पुस्तकालय में एक बड़ा वाचनालय है जिसमें विद्यार्थियों के अध्ययन की व्यवस्था की गई है। कामर्स एवं कला संकाय हेतु पुस्तकों के अलग-अलग सैक्शन है। पुस्तकालय में 30 शोध जर्नल, समाचार पत्र एवं पत्रिकायें छात्रों के पठन हेतु उपलब्ध हैं। पुस्तकालय में E-Library की सुविधा है तथा इस हेतु 20+1 कम्प्यूटर इन्टरनेट एवं इनफिलब.नेट से सुसज्जित है। केन्द्रीय पुस्तकालय के अतिरिक्त स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों हेतु प्रत्येक विभाग में भी विभागीय पुस्तकालय तथा कुछ विभागों में इन्टरनेट की सुविधा के साथ कम्प्यूटर लैब का निर्माण किया गया है। प्रत्येक विद्यार्थी को पुस्तकालय का लाभ उठाने के लिए इसकी सदस्यता लेनी होगी। परिचय पत्र (Identity Card) प्रस्तुत करने पर पुस्तकालय द्वारा एक एनरोलमेंट कार्ड दिया जायेगा। छात्र इस कार्ड को भरकर अपने और अपने अभिभावक के हस्ताक्षर सहित पुस्तकालय को लौटा देगा। इस कार्ड को भरकर इस कार्ड को दिखाने पर विद्यार्थी को रीडर्स टिकट (Reader's Ticket) प्रदान किये जायेंगे। प्रत्येक वर्ष इसके नवीनीकरण (Renewal) हेतु पुस्तकालय में विद्यार्थी को परिचय पत्र तथा सम्बन्धित वर्ष के शुल्क की रसीद (Admission Receipt) प्रस्तुत करनी होगी तत्पश्चात् ही कोई पुस्तक पुस्तकालय से प्राप्त की जा सकती है।

पुस्तक प्राप्ति:

इस सम्बन्ध में प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं:

1. पुस्तकालय का प्रत्येक सदस्य रीडर्स टिकट (Reader's Ticket) के अनुसार पुस्तकें ले सकता है।
2. विद्यार्थी की रीडर टिकट के विनियम में ही पुस्तक दी जायेंगी।
3. रीडर्स टिकट खो जाने पर विद्यार्थी पुस्तकालयाध्यक्ष को अविलम्ब लिखित सूचना देगा। 5.00 रुपये प्रति टिकट दिये जाने पर

पुनः रीडर्स टिकट प्रदान किये जायेंगे।

4. पुस्तक लेने से पूर्व विद्यार्थी को पुस्तक का भली प्रकार से निरीक्षण कर लेना चाहिए। यदि पुस्तक ठीक स्थिति में नहीं है तो उसी समय विभाग को सूचित करें अन्यथा पुस्तक लेने वाले छात्र को ही पुस्तकालय में नई पुस्तक देने का उत्तरदायित्व वहन करना पड़ेगा।

5. सन्दर्भ पुस्तकें घर के लिए नहीं दी जायेगी। सन्दर्भ पुस्तक निम्न प्रकार की है—

- (1) शब्द कोष (Dictionaries)
- (2) विश्वकोषमय
- (3) वर्ष पुस्तकें
- (4) जीवन सम्बन्धित कोष
- (5) भूचित्रावली

पुस्तक या पत्रिका को नष्ट करना अत्यन्त निन्दनीय कार्य है, जिसके लिए दोषी को आर्थिक दण्ड दिया जा सकता है तथा अपराध की गुरुता के अनुसार उसकी पुस्तकालय सदस्यता समाप्त की जा सकती है। पुस्तक प्राप्ति के एक माह के भीतर पुस्तकें लौटानी होंगी अन्यथा 2/- प्रतिदिन का अर्थदण्ड देना होगा।

नोट—

1. शासन/विश्वविद्यालय स्तर से यदि शुल्क में कोई परिवर्तन होता है तो विद्यार्थी परिवर्तित शुल्क जमा करने के लिए बाध्य होगा।
2. प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय यदि किसी नियम में संशोधन करता है तो विद्यार्थी उसे मानने के लिए बाध्य होगा।
3. पंजीकरण एवं प्रवेश से सम्बन्धित सभी सूचना महाविद्यालय के सूचना पट पर देखें।
4. विद्यार्थी पंजीकरण, प्रवेश, परीक्षा फार्मों सम्बन्धी सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ccsuuniv.ac.in पर देखें।
5. प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति माहवार एवं माह में प्रत्येक 10-10 दिन की आगणित की जाती है। शासनादेश संख्या-2186/सत्तर-1-97-15(3)/97 दिनांक 12 नवम्बर 1997, शासनादेश संख्या- रिट-29/सत्तर-2-2014-16/(246)/2010 दिनांक 13 फरवरी 2014, शासनादेश संख्या-252/सत्तर-1-2014 दिनांक 12 मार्च 2014 के अनुसार विद्यार्थी की उपस्थित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु 75% अनिवार्य है। विद्यार्थी उपस्थिति सम्बन्धी किसी भी शिथिलता के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा एवं महाविद्यालय ऐसी स्थिति में विद्यार्थी की कोई भी सहायता नहीं कर सकेगा।
6. चौ. चरण सिंह. वि.वि. मेरठ, प्रवेश नियम शैक्षिक सत्र 2016-17 महाविद्यालय की वेबसाइट www.mmmodinagar.ac.in व विश्वविद्यालय वेबसाइट www.ccuniversity.ac.in पर उपलब्ध कराये जाते हैं।

NIELIT (DOEACC SOCIETY) द्वारा महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों का विवरण

राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT) (पूर्व में डीएक सोसाइटी), इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियन्त्रण के अन्तर्गत एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था है जिसकी स्थापना सूचना, इलैक्ट्रॉनिकी एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास तथा सम्बन्धित क्रियाकलाप करने के लिये की गई थी। यह संस्थान अद्यतन तकनीकी जानकारी के क्षेत्रों में उद्योग उन्मुखी व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण तथा प्रशिक्षण का विकास करता है। NIELIT ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में परीक्षा एवं प्रमाणन के लिये देश का अग्रणी संस्थान बनने की दिशा में प्रयास किया है तथा यह एक राष्ट्रीय परीक्षा निकाय भी है जो अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिये संस्थानों तथा संगठनों का प्रत्यानन करता है।

महाविद्यालय में पिछले एक दशक से नाइलिट 'ओ' स्तर (आधारभूत), 'ए' लेवल (एडवांस डिप्लोमा) तथा आई०टी० साक्षरता पाठ्यक्रम सी०सी०सी० तथा बी०सी०सी० सफलतापूर्वक संचालित किये जा रहे हैं। इन पाठ्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है।

क्र. सं.	पाठ्यक्रम	अर्हता	शुल्क	अवधि
1.	'ओ' लेवल डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन	इण्टरमीडिएट (10+2) अथवा 10वी कक्षा पश्चात् I.T.I. अथवा पोलीटैक्निक डिप्लोमा	12,000.00* (परीक्षा शुल्क अतिरिक्त) *OBC (BPL) छात्रों के लिये विशेष छूट	एक वर्ष (दो सेमेस्टर)
2.	'ए' लेवल एडवांस डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन	स्नातक उत्तीर्ण अथवा 'ओ' लेवल अथवा 10+2 पश्चात् पोलीटैक्निक डिप्लोमा	18,000.00 (परीक्षा शुल्क अतिरिक्त)	एक वर्ष (दो सेमेस्टर)
3.	'सीसीसी' कोर्स ऑन कम्प्यूटर कंसेप्ट्स	हाईस्कूल	2750.00 (परीक्षा शुल्क सहित)	तीन माह
4.	'बीसीसी' बेसिक कम्प्यूटर कोर्स	हाईस्कूल	2750.00 (परीक्षा शुल्क सहित)	तीन माह

SPECIAL ATTRACTION:

1. Zero Tuition fee for 'CCC' course if a student of 'O' Level / 'A' Level deposits full fee in a single installment.
इन पाठ्यक्रमों के विषय में विस्तृत जानकारी महाविद्यालय के कम्प्यूटर विभाग से प्राप्त की जा सकती है। इस महाविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर छात्र/छात्राओं के साथ-साथ किसी भी अन्य विद्यालय, महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्रायें/ग्रहिणी/ नौकरी पेशा इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।

ज्ञातव्य है कि शासकीय/अशासकीय तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थानों में उक्त पाठ्यक्रमों को अधिकांश में अनिवार्य अथवा ऐच्छिक योग्यता की तरह अपेक्षा की जाती है।

इस कोर्स के सम्बन्ध में निम्न से सम्पर्क किया जा सकता है-

1. Dr. Ravi Kumar Mobile No. 08057406652
2. Sh. Navin Mittal Mobile No. 09410054931

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के अध्ययन केन्द्र (2707) की स्थापना वर्ष 1985 में मुल्तानीमल मोदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हुई।

वर्तमान में डॉ. मयंक मोहन (सह-समन्वयक) Ass. Prof., अर्थशास्त्र विभाग 09359672105 के नेतृत्व में अध्ययन केन्द्र पर छात्रों को परम्परागत एवं तकनीकी उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षा अति कम शुल्क में प्राप्त करने हेतु विभिन्न प्रकार के डिग्री, डिप्लोमा, पोस्ट-ग्रेजुएट डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट कोर्स जैसे अनेक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। अध्ययन केन्द्र पर छात्रों को उच्च शिक्षा एवं औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े शिक्षकों के द्वारा समय-समय पर कैरियर से सम्बन्धित जानकारी संगोष्ठी एवं व्याख्यानों के माध्यम से दी जाती है।

इन पाठ्यक्रमों के विषय में विस्तृत जानकारी महाविद्यालय के अध्ययन केन्द्र एवं स्वयं आकर प्रत्येक शुक्रवार एवं शनिवार (सायं 04.00 बजे से 06.00 बजे तक) रविवार (09.30 बजे से अपराह्न 02.30 बजे तक) को प्राप्त की जा सकती है।

एम० बी०ए० एवं अन्य कोर्स की विस्तृत जानकारी, आवेदन-पत्र व स्टूडेंट हैंड बुक व्यक्तिगत रूप से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क पर उपरोक्त दिवसों में प्राप्त की जा सकती है। अति कम शुल्क में किसी भी अन्य विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययनरत रहते हुए या नौकरी करते हुए भी इग्नू द्वारा संचालित महाविद्यालय के अध्ययन केन्द्र पर निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया जा सकता है। विश्वविद्यालय द्वारा यदि शुल्क परिवर्तन किया जाता है तो विद्यार्थी द्वारा देय होगा।

S.No.	Programme	Duration	Eligibility	Medium	Fees
1	MBA	3 years	Bachelor's Degree + 3 Year Experience or Post Graduation	English	1500.00 per course (Total 21 course)
2	MCA	3 years	Bachelor's Degree	English	9000.00 per sem.
3	M.Com.	2 years	Bachelor's Degree	English/Hindi	5500.00 per year
4	BCA	3 years	10+2	English	5000.00 per sem.
5	B.Com.	3 years	10+2 or BPP for IGNOU	English/Hindi	2000.00 per year
6	BA	3 years	10+2 or BPP for IGNOU	English/Hindi	2000.00 per year
7	PGDIBO	1 year	Bachelor's Degree	English/Hindi	6500.00
8	PGDT	1 year	Bachelor's Degree	Hindi	3000.00
9	PGDAST	1 year	Bachelor's Degree	English	6000.00
10	PGDRD	1 year	Bachelor's Degree	English/Hindi	2000.00
11	DCE	6 months	10+2	English	3000.00
12	BPP	6 months	No formal qualification	English/Hindi	1000.00
13	CIT	6 months	10+2 or BPP for IGNOU	English	4000.00
14	CNCC	6 months	10+2 or BPP for IGNOU	English/Hindi	1500.00
15	CDM	6 months	10+2 or BPP for IGNOU	English/Hindi	2000.0

उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों का विवरण

महाविद्यालय में उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के द्वारा जुलाई 2003 से अध्ययन केन्द्र (S053) चलाया जा रहा है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा उ०प्र० सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। विगत वर्षों से इस महाविद्यालय को उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का केन्द्र भी बनाया जा रहा है।

इस केन्द्र पर निम्न पाठ्यक्रमों की सुविधा है:

पाठ्यक्रम	माध्यम	वार्षिक/ सेमेस्टर	अर्हता	पाठ्यक्रम फीस (परीक्षा शुल्क सहित)	कार्यक्रम अवधि	
					न्यूनतम	अधिकतम
बी०बी०ए०	अंग्रेजी	सेमेस्टर	इण्टरमीडिएट	9000 रु०	3 वर्ष	5 वर्ष
बी०सी०ए०	अंग्रेजी	सेमेस्टर	इण्टरमीडिएट (गणित सहित)	12000 रु०	3 वर्ष	6 वर्ष
बी०ए०	हिन्दी/अंग्रेजी	वार्षिक	इण्टरमीडिएट	3500 रु०	3 वर्ष	6 वर्ष
बी०कॉम०	हिन्दी/अंग्रेजी	वार्षिक	इण्टरमीडिएट	4000 रु०	3 वर्ष	6 वर्ष
एम०ए०	हिन्दी	सेमेस्टर	स्नातक	7000 रु०	2 वर्ष	4 वर्ष
एम०कॉम०	हिन्दी/अंग्रेजी	सेमेस्टर	स्नातक	7000 रु०	2 वर्ष	4 वर्ष
पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान स्नातक (BLIS)	हिन्दी/	सेमेस्टर	स्नातक	7500 रु०	1 वर्ष	3 वर्ष
पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान परास्नातक (MLIS)	हिन्दी/	सेमेस्टर	BLIS	12000 रु०	1 वर्ष	3 वर्ष
स्वास्थ्य शिक्षा एवं पोषण में डिप्लोमा (DHEN)	हिन्दी/अंग्रेजी	वार्षिक	इण्टरमीडिएट	4000 रु०	1 वर्ष	3 वर्ष
ग्रामीण पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGDJMC)	हिन्दी	वार्षिक	स्नातक	6000 रु०	1 वर्ष	3 वर्ष
अन्तर्राष्ट्रीय मार्केटिंग और ई-बिजनेस में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGDIME)	हिन्दी	वार्षिक	स्नातक	6000 रु०	1 वर्ष	3 वर्ष
डिप्लोमा इन फोटोग्राफी	अंग्रेजी	वार्षिक	इण्टरमीडिएट	4500 रु०	1 वर्ष	3 वर्ष
ग्रामीण विकास में डिप्लोमा (DRD)	हिन्दी/अंग्रेजी	वार्षिक	इण्टरमीडिएट	4000 रु०	1 वर्ष	3 वर्ष
पर्यटन अध्ययन में डिप्लोमा (DTS)	हिन्दी/अंग्रेजी	वार्षिक	इण्टरमीडिएट	4000 रु०	1 वर्ष	3 वर्ष
डायटेटिक्स एवं न्यूट्रीशन में डिप्लोमा (DCDN)	अंग्रेजी	वार्षिक	इण्टरमीडिएट	5500 रु०	1 वर्ष	3 वर्ष
प्रारम्भिक बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा में डिप्लोमा (DECE)	हिन्दी/अंग्रेजी	वार्षिक	इण्टरमीडिएट	4000 रु०	1 वर्ष	3 वर्ष

कम्प्यूटर में प्रमाण पत्र (CCC)	हिन्दी/अंग्रेजी	वार्षिक	इण्टरमीडिएट	5500 रु०	6 माह	2 वर्ष
योग में प्रमाण पत्र (CCY)	हिन्दी	सेमेस्टर	इण्टरमीडिएट	2000 रु०	6 माह	2 वर्ष
महिला सशक्तिकरण एवं विकास में प्रमाण पत्र (CWED)	हिन्दी/अंग्रेजी	सेमेस्टर	इण्टरमीडिएट	3000 रु०	6 माह	2 वर्ष
एच आई वी एवं परिवार शिक्षा में प्रमाण पत्र (CHEE)	हिन्दी/अंग्रेजी	सेमेस्टर	इण्टरमीडिएट	2000 रु०	6 माह	2 वर्ष
पोषण एवं आहार में प्रमाण पत्र (CNF)	हिन्दी/अंग्रेजी	सेमेस्टर	इण्टरमीडिएट	2000 रु०	6 माह	2 वर्ष
मानव अधिकार में प्रमाण पत्र (CCY)	हिन्दी/अंग्रेजी	सेमेस्टर	इण्टरमीडिएट	2000 रु०	6 माह	2 वर्ष
पर्यटन अध्ययन में प्रमाण पत्र (CTS)	हिन्दी/अंग्रेजी	सेमेस्टर	इण्टरमीडिएट	3000 रु०	6 माह	2 वर्ष
शिशु पालन एवं पोषण में प्रमाण पत्र (CCCN)	हिन्दी/अंग्रेजी	सेमेस्टर	इण्टरमीडिएट	2000 रु०	6 माह	2 वर्ष
हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा (DIHT)	अंग्रेजी	सेमेस्टर	इण्टरमीडिएट	8000 रु०	12 माह	2 वर्ष
उपभोक्ता संरक्षण में प्रमाण पत्र (CCP)	हिन्दी/अंग्रेजी	सेमेस्टर	इण्टरमीडिएट	2000 रु०	6 माह	2 वर्ष
कराधान एवं निर्यात-आयात प्रबंधन में डिप्लोमा (CTEIM)	अंग्रेजी	सेमेस्टर	स्नातक	3000 रु०	6 माह	2 वर्ष
ग्रामीण पत्रकारिता एवं जनसंचार में प्रमाण पत्र (CRJMC)	हिन्दी	सेमेस्टर	इण्टरमीडिएट	2000 रु०	6 माह	2 वर्ष
आपदा प्रबन्ध में प्रमाण पत्र (CDM)	हिन्दी/अंग्रेजी	सेमेस्टर	इण्टरमीडिएट	2000 रु०	6 माह	2 वर्ष
कम्प्यूटर में बेसिक डिप्लोमा (DIC)	अंग्रेजी	सेमेस्टर	इण्टरमीडिएट	8000 रु०	12 माह	3 वर्ष
कार्यालय प्रबन्धन एवं कम्प्यूटर में डिप्लोमा (DCOM)	हिन्दी/अंग्रेजी	सेमेस्टर	इण्टरमीडिएट	8000 रु०	12 माह	3 वर्ष

उ.प्र.रा. टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा यदि शुल्क में परिवर्तन किया जाता है तो विद्यार्थी को देना होगा।

प्रवेश फार्म एवं विवरणिका महाविद्यालय में उपलब्ध होने पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क में प्राप्त किये जा सकते हैं या विश्वविद्यालय की वैबसाइट www.uprtouallahabad.org.in से डाउनलोड किये जा सकते हैं। पाठ्यक्रम शुल्क वित्त अधिकारी, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के नाम ड्राफ्ट से देय होगा। अधिक जानकारी के लिए आप डॉ० एस०एस० सूरी, समन्वयक, अध्ययन केन्द्र मोदीनगर से मोबाइल नं० 9457965721, 9456607598 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

नोट:- IGNOU, UPRTOU एवं DOECC द्वारा संचालित कोर्स/डिग्री कार्यक्रम महाविद्यालय में अध्ययनरत रहते हुये साथ-साथ किए जा सकते हैं। अतः समस्त विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि उक्त संस्थानों के जो कोर्स/विषय इस महाविद्यालय में संचालित हैं उनमें प्रवेश लेकर लाभान्वित हों।

FEE CHART FOR THE SESSION 2016-2017

DEGREE CLASSES NEW FEE - PER ANNUM FOR ALL STUDENTS

FEE HEAD	BA I *	BA I B.COM.	BA II / III		B.Sc. I MATH	B.Sc. I BIO.	B.Sc. II / III MATH	B.Sc. II / III BIO.
			B.A. II / III *	BA II / III B.COM. II / III				
ANNUAL FEE FOR BOYS	1532.00	1292.00	1229.00	989.00	1872.00	2112.00	1469.00	1709.00
ANNUAL FEE FOR GIRLS	1400.00	1160.00	1097.00	857.00	1740.00	1980.00	1337.00	1577.00

* WITH PHYSICAL EDUCATION SUBJECTS AS MAIN SUBJECTS

P.G. CLASSES NEW FEE - PER ANNUM FOR ALL STUDENTS

FEE HEAD	NEW		OLD		NEW		OLD	
	MA I / M. COM I M.Sc. I MATH	MA I / M. COM I M.Sc. I MATH	MA II / M. COM II M.Sc. II MATH	MA II / M. COM II M.Sc. II MATH	NEW M.Sc. I	OLD M.Sc. I	NEW M.Sc. II	OLD M.Sc. II
ANNUAL FEE FOR BOYS	1501.00	1198.00	1501.00	1098.00	1841.00	1438.00	1841.00	1338.00
ANNUAL FEE FOR GIRLS	1321.00	1018.00	1321.00	918.00	1661.00	1258.00	1661.00	1158.00

Fees Chart of Self Finance Courses for the Session 2016-17

Fees Head	M.Sc. (Bio Tech) (I/II year)	M.Lib.I.Sc.	B.Lib.I.Sc.	BBA/BCA (I/II/III year)
Annual Fees (Excluding University Exam. Fees)	36000.00	28000.00	23500.00	24000.00

Note : If Student make his admission cancelled during Session No fees will be refunded.

समस्त स्ववित्त पोषित विषयों
(एम० एस-सी० बायोटेक्नोलॉजी, बी०बी०ए०, बी०सी०ए०, बी०-लिब०, एम०-लिब०,
DOEACC-'CCC', 'O', 'A' & 'B' Level) में प्रवेश समन्वयक के माध्यम से किये जायेंगे।

1. Dr. Ravi Kumar (Co-ordinator Mob. No.: 08057406652
2. Sh. Navin Mittal (Incharge) Mob. No.: 09410054931

प्रो० राम चन्द्र लाल
प्राचार्य

शारीरिक शिक्षा विभाग

1. डॉ० श्याम सुन्दर सूरी
1. डॉ० राजेन्द्र कुमार (अंशकालिक ट्यूटर)

सांख्यिकी विभाग

1. डॉ० अरूण कुमार
2. डॉ० (श्रीमती) क्षमा गोयल
3. डॉ० विनय कुमार त्यागी
4. डॉ० (श्रीमती) सीमा राज

वाणिज्य विभाग

1. डॉ० प्रदीप कुमार गर्ग
2. डॉ० दीपक कुमार अग्रवाल
3. डॉ० वेद प्रकाश
4. रिक्त
5. रिक्त
6. रिक्त
7. रिक्त

अंग्रेजी विभाग

1. डॉ० अजय शर्मा
2. डॉ० बिपिन चन्द्र पाण्डेय
3. डॉ० बुलबुल गुप्ता
4. रिक्त

हिन्दी विभाग

1. डॉ० (श्रीमती) वन्दना शर्मा
2. डॉ० जय प्रकाश यादव
3. डॉ० विजय बहादुर त्रिपाठी
4. रिक्त

इतिहास विभाग

1. डॉ० (श्रीमती) आशा यादव
2. डॉ० विवेक शील
3. डॉ० कृष्णकान्त शर्मा
4. डॉ० (श्रीमती) सुनीता सिसोही

रसायन विज्ञान विभाग

1. डॉ० मो० कासिम अंसारी
2. डॉ० (श्रीमती) ज्योति सिंह
3. डॉ० रवि कुमार
4. डॉ० (श्रीमती) रत्ना शैरी
5. डॉ० (श्रीमती) दीपशिखा ...

- ... 6. डॉ० मयंक
7. डॉ० (श्रीमती) ममता गुप्ता (मानदेय पर)
8. डॉ० राजपाल त्यागी (मानदेय पर)
9. रिक्त
10. रिक्त
11. रिक्त
12. रिक्त

गणित विभाग

1. डॉ० नवेन्द्र कुमार गौड़
2. डॉ० सुबोध कुमार राणा
3. डॉ० (श्रीमती) पूनम चौधरी (मानदेय पर)
4. रिक्त

भौतिक विज्ञान विभाग

1. डॉ० अनिल कुमार मलिक
2. डॉ० विजय गर्ग
3. डॉ० अमन पाल सिंह
4. डॉ० मुकेश कुमार
5. रिक्त
6. रिक्त
7. रिक्त
8. रिक्त
9. रिक्त

वनस्पति विज्ञान विभाग

1. डॉ० (श्रीमती) बसुधा शर्मा
2. डॉ० अमर सिंह कश्यप (मानदेय पर)
3. रिक्त
4. रिक्त
5. रिक्त
6. रिक्त
7. रिक्त
8. रिक्त
9. रिक्त
10. रिक्त

राजनीति विज्ञान विभाग

1. डॉ० हरीश कुमार
2. डॉ० सद्गुरु पुष्पम्
3. रिक्त
4. रिक्त

जन्तु विज्ञान विभाग

1. डॉ० (श्रीमती) सुषमा श्रीवास्तव
2. रिक्त
3. रिक्त
4. रिक्त
5. रिक्त
6. रिक्त
7. रिक्त
8. रिक्त
9. रिक्त

अर्थशास्त्र विभाग

1. डॉ० मयंक मोहन
2. डॉ० श्रवण कुमार
3. रिक्त
4. रिक्त

संस्कृत विभाग

1. डॉ० (श्रीमती) प्राची अग्रवाल (मानदेय पर)
2. रिक्त
3. रिक्त

बायोटेक्नोलॉजी विभाग

1. कु० ऋचा यादव
2. कु० प्रीति शर्मा
3. डॉ० हुद्दा आफरीन
4. रिक्त

कम्प्यूटर एवं प्रबंधन विभाग

1. श्री पंकज शर्मा
2. श्री अमित त्यागी
3. श्री अभिनय भारद्वाज
4. श्री प्रशान्त
5. श्रीमती नीतू
6. श्री पंकज दीक्षित
7. श्री लवलेश कुमार

पुस्तकालय और सूचना विज्ञान विभाग

1. श्रीमती गीतांजली शर्मा
2. डॉ. दीपक शर्मा
3. श्रीमती शालिनी गुप्ता
4. कु० पारुल

कार्यालय

1. रिक्त (कार्यालय अधीक्षक)
2. श्री पवन कुमार भटनागर (आशुलिपिक)
3. श्री संजय कुमार मसकरा (स. लेखा/प्रभारी का.अ.)
4. श्री सतीश चन्द जैन (वरिष्ठ लिपिक)
5. श्री राजेन्द्र कुमार (लिपिक)
6. श्री सत्यपाल सिंह (लिपिक)
7. श्रीमती नीतू (लिपिक)
8. प्रियंका अग्रवाल (अंशकालिक लिपिक)
9. रिक्त (लिपिक)
10. रिक्त (लिपिक)

पुस्तकालय

1. रिक्त (पुस्तकालयाध्यक्ष)
2. रिक्त (उप पुस्तकालयाध्यक्ष)
3. श्री प्रदीप शर्मा (लिपिक एवं प्रभारी)
4. श्रीमती सीमा शर्मा (लिपिक एवं उप-प्रभारी)
5. रिक्त (लिपिक)

प्रयोगशाला सहायक

1. श्री सुभाष चन्द
2. डॉ० संजय शर्मा
3. श्री नवीन मित्तल
4. श्री सुनील यादव
5. श्री किशन पाल
6. रिक्त
7. रिक्त
8. रिक्त
9. रिक्त

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

1. श्री रामानन्द
2. श्री किशन चन्द
3. श्रीमती अंगूरी देवी
4. श्री मेहर सिंह
5. श्री अनूप कुमार
6. श्री कंवर पाल
7. श्री हरीश सिंह
8. श्री दिनेश चन्द पाल
9. श्री हेम सिंह
10. श्री सतनाम
11. श्री प्रवीण कुमार
12. श्री बलराम
13. श्री लीलू
14. रिक्त

15. रिक्त
16. रिक्त
17. रिक्त
18. रिक्त
19. रिक्त

प्रयोगशाला परिचर

1. श्री ईश्वर सिंह
2. श्री राजेन्द्र सिंह
3. श्री अशोक कुमार (प्रभारी प्रयो. सहायक)
4. श्री मदन
5. श्रीमती कुसुम
6. श्री संजीव कुमार
7. श्री विनोद कुमार
8. श्री दया प्रकाश
9. श्री सुरेश कुमार
10. रिक्त
11. रिक्त
13. रिक्त
12. रिक्त
14. रिक्त

केन्द्रीय प्रवेश समिति 2016-17 स्नातक वर्ग

मुख्य प्रवेश समिति

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 01. प्रो० आर० सी० लाल | प्राचार्य |
| 02. डॉ० अरूण कुमार | एसो. प्रोफेसर |
| 03. डॉ० हरीश कुमार | कुलानुशासक |

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 01. डॉ० एस० एस० सूरी | बी०ए० प्रथम एवं द्वितीय वर्ष |
| 02. डॉ० मुकेश कुमार | बी०ए० प्रथम एवं तृतीय वर्ष |

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 01. डॉ० प्रदीप कुमार गर्ग | बी०कॉम० प्रथम एवं द्वितीय वर्ष |
| 02. डॉ० दीपक कुमार अग्रवाल | बी०कॉम० प्रथम एवं तृतीय वर्ष |

- | | |
|---------------------------|--|
| 01. डॉ० विनय कुमार त्यागी | बी०एस-सी० प्रथम एवं द्वितीय वर्ष (PCM/PMS) |
| 02. डॉ० मयंक | बी०एस-सी० प्रथम एवं तृतीय वर्ष (PCM/PMS) |

- | | |
|-------------------------|--|
| 01. डॉ० रवि कुमार | बी०एस-सी० प्रथम एवं द्वितीय वर्ष (Bio) |
| 02. डॉ० सुबोध कुमार रणा | बी०एस-सी० प्रथम एवं तृतीय वर्ष (Bio) |

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| 01. श्री पवन भटनागर | प्रभारी-प्रवेश कार्यालयी कार्य |
| 02. श्री नवीन मित्तल | कम्प्यूटर (बी०ए०) |
| 03. श्री पंकज शर्मा | कम्प्यूटर (बी०एस-सी० एवं बी०कॉम) |

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 04. श्री राजेन्द्र कुमार | शुल्क कार्य-बी०ए० |
| 05. श्रीमती नीतू | शुल्क कार्य-बी०कॉम० |
| 06. श्री सुभाष | शुल्क कार्य-बी०एस-सी० (PCM/Stat.) |
| 07. श्री अशोक कुमार | शुल्क कार्य-बी०एस-सी० (Bio.) |

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 08. श्री हरीश सिंह | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी |
| 09. श्री संजीव कुमार | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी |

विद्यार्थियों के लिये अनुदेश

1. विद्यार्थी अपना **परिचय पत्र (I-Card)** महाविद्यालय परिसर में सदैव अपने पास रखें।
2. विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय परिसर में धूमपान, तम्बाकू, गुटखा या मद्यपान करना वर्जित है।
3. विद्यार्थी अपना वाहन स्वयं के जोखिम पर महाविद्यालय के वाहन स्टैण्ड पर ही खड़ा करें। वाहन चोरी होने अथवा वाहन में कोई भी धन/वस्तु चोरी की दशा में महाविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
4. यदि साईकिल स्टैण्ड पर ठेकेदार उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में वाहन की जिम्मेदारी स्वयं वाहन स्वामी की होगी।
5. विद्यार्थी महाविद्यालय की प्रवेश विवरणिका (Prospectus) को पूर्ण सत्र अपने पास सुरक्षित रखें ताकि समय-समय पर उसमें दिये गये निर्देशों का लाभ उठा सकें।
6. विद्यार्थी अनावश्यक रूप से महाविद्यालय परिसर में न घूमें।
7. पुस्तकों/मैगजीन को पढ़ने के लिए पुस्तकालय के वाचनालय का प्रयोग करें।
8. विद्यार्थी अपना कार्य कार्यालय की खिड़कियों से निर्धारित समयानुसार ही करायें। कार्य का स्थल समय बाहर दीवार पर अंकित है।
9. विद्यार्थियों को कार्यालय से अंकतालिका प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय से अदेय प्रमाण पत्र (No Dues) प्राप्त करके कार्यालय की खिड़की पर प्रस्तुत करना होगा।
10. विद्यार्थी परीक्षा समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर पुस्तकालय से प्राप्त पुस्तकें, पुस्तकालय में वापिस जमा करा दें तथा अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। अन्यथा की स्थिति में प्रतिदिन के हिसाब से निर्धारित आर्थिक दण्ड देय होगा।
11. महाविद्यालय में अवकाश विश्वविद्यालय के आदेशानुरूप होंगे।
12. महाविद्यालय के किसी भी द्वार के सामने अपना वाहन खड़ा न करें।
13. विद्यार्थी छात्रवृत्ति का फार्म प्रवेश प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित खिड़की पर लिपिक के पास जमा करें।
14. **विद्यार्थी प्रवेश से पूर्व अपने पास टी०सी०, चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तैयार कराकर अवश्य रूप से अपने पास सुरक्षित रखें ताकि प्रवेश के समय प्रस्तुत किया जा सके। अन्यथा प्रवेश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।**
15. **जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र तहसील से केवल कम्प्यूटर द्वारा बना होना चाहिए।**
16. प्रवेशार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र असत्य पाये जाते हैं तो प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा पुलिस में FIR दर्ज करायी जायेगी।
17. अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रवेशार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि प्रवेश के समय **आय प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र** अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा ताकि शुल्क में छूट का लाभ दिया जा सके। आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते समय छः माह से अधिक पुराना न हो।
18. प्रवेश स्वीकृति के समय प्रवेशार्थी को प्रवेश समिति के सम्मुख स्वयं उपस्थित होना होगा अन्यथा प्रवेश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
19. स्नातक कक्षा में प्रवेश करने के लिए इन्टरमीडिएट का परीक्षाफल उत्तीर्ण/पूर्ण होना अनिवार्य है, गलत पंजीकृत होने पर विद्यार्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी, प्रवेश हेतु विचार नहीं किया जायेगा।
20. प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि बी०एस-सी० गणित, बी०एस-सी० सांख्यिकी, बी०एस-सी० जन्तु, बी०कॉम, बी०बी०ए०, बी०सी०ए०, बी०ए०, एम०ए०-हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, अर्थशास्त्र, रा०शास्त्र, एम०एस-सी०-भौतिकी, रसायन, वनस्पति, जन्तु, सांख्यिकी, गणित, एम०कॉम०, बी०लिब०, एम०लिब०, एम०एस-सी० बायोटेक्नोलॉजी में प्रवेश हेतु प्रत्येक कक्षा/विषय में अलग-अलग पंजीकरण कराना होगा। एक विषय/कक्षा से पंजीकरण हस्तान्तरण करने की अनुमति नहीं होगी। प्रवेश हेतु यदि किसी कक्षा में वि.वि. द्वारा न्यूनतम प्राप्तांक घोषित किए गये हैं तब अनु./जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 5% की छूट होगी।
21. कॉलेज प्रवेश-विवरणिका मूल्य ₹ 100 का नकद भुगतान (अप्रतिदेय) कर प्राप्त किया जा सकता है। कॉलेज विवरणिका खरीदने का तात्पर्य कॉलेज में प्रवेश की गारण्टी नहीं है। विवरणिका केवल प्रवेशित अभ्यर्थी ही लें।
22. प्रवेश होने के पश्चात् बैंक से प्राप्त फीस रसीद छात्र सदैव अपने पास सुरक्षित रखें।
23. **रैगिंग एक अपराध है। विद्यार्थी की संलिप्तता पर कठोर दण्ड का प्राविधान है।**

